संख्या- 105/2018/1864/छप्पन-2018-40/2014

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उडडयन विभाग लखनऊ: दिनांक: 15 अक्टूबर, 2018

विषय: रमाबाई अम्बेडकर मैदान, लखनऊ स्थित हेलीपैड व अतिथि गृह का नागरिक उड्डयन विभाग से राज्य सम्पत्ति विभाग को हस्तान्तरण।

महोदय,

मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 18 सितम्बर, 2018 में "रमाबाई अम्बेडकर मैदान, लखनऊ स्थित हेलीपैड व अतिथि गृह का नागरिक उड्डयन विभाग से राज्य सम्पत्ति विभाग को हस्तान्तरण" विषयक नागरिक उड्डयन विभाग के प्रस्ताव को मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2- उक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रमाबाई अम्बेडकर मैदान, लखनऊ स्थित हेलीपैड व अतिथि गृह का नागरिक उड्डयन विभाग से राज्य सम्पत्ति विभाग को हस्तान्तरण किया जाए। साथ ही हेलीपैड एवं अतिथि गृह की परिसम्पत्तियों और तैनात/कार्यरत पद धारकों का हस्तान्तरण सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित किया जाए। हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्बन्धित विभागों से यथा-आवश्यकता समन्वय कर उप निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा सम्पन्न कराकर एतद्द-विषयक आख्या निदेशक, नागरिक उड्डयन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराई जाए।

भवदीय,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0- 105/2018/1864(1)/छप्पन-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उत्तर प्रदेश, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0 शासन।
6. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।